

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी कार्यालय का निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय वाहन सं०-यू०पी० ९० / १८३७ महिन्द्रा जीप व खण्ड विकास अधिकारी, बड़ोखरखुर्द कार्यालय का निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय वाहन सं०-यू०पी० ९० / ५६९९ महिन्द्रा जीप एवं खण्ड विकास अधिकारी, बबेरू कार्यालय का निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय वाहन सं०-यू०पी० ९० / १८३० महिन्द्रा जीप की सार्वजनिक नीलामी (०३ जीप) दिनांक २१.१२.२०१७ को ११.३० बजे पूर्वान्ह कलेक्ट्रेट सभागार, बांदा में नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा की जायेगी। वाहन की नीलामी में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भाग ले सकता है :-

१. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपनी पहचान के सम्बन्ध में अधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
२. वाहन की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹० ३०००/- जमा करना अनिवार्य होगा तभी बोली में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
३. इच्छुक व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह नीलामी में भाग लेने से पूर्व निष्प्रयोज्य घोषित वाहन का कार्यालय जिला विकास अधिकारी, बांदा के यहां भलीभांति निरीक्षण कर लें तथा नीलामी हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की भली भांति जानकारी कर ले।
४. नीलामी में सर्वाधिक बोलीकर्ता को लगायी गयी बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल नीलामी स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि बोलीकर्ता नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उन्नी दिन सायं ५.०० इजे तक जमा नहीं करता तो अर्नेस्ट मनी जब्त करने के पश्चात् द्वितीय बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
५. समिति द्वारा नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकृत करने तथा नीलामी में लगायी गयी सम्पूर्ण धनराशि जमा करने व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही नीलामी क्रेता को वाहन हस्तगत कराया जायेगा। जिसमें अन्य कर पृथक से देय होगा।
६. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो सभी बोलीकर्तागणों को मान्य होगा।

जिला विकास अधिकारी,
बांदा

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, बांदा

पत्रांक- २१५५ /नाजिर-वाहन नीलामी/२०१७-१८ दिनांक- ०६/१२/२०१७
प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को दस प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
२. अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान, जनसंदेश, श्री इण्डिया को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति कम से कम दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
३. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-बांदा को नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु।
४. खण्ड विकास अधिकारी, बबेरू, नरैनी एवं बड़ोखरखुर्द को इस निर्देश के साथ कि अपने विकास खण्ड का वाहन दिनांक ०८.१२.२०१७ तक विकास भवन में परिसर में खड़ा करना सुनिश्चित करें, तथा नीलामी में स्वयं तथा सम्बन्धित सहायक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
५. नाजिर कलेक्ट्रेट, बांदा को उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
६. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बांदा को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित अध्यक्ष के आदेश दिनांक ०५.१२.२०१७ के क्रम में उनकी अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के सदस्य के रूप में नीलामी सम्पन्न कराने एवं समय से कलेक्ट्रेट सभागार, बांदा में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।
७. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
८. अपर निदेशक सूचना चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
९. सिटी मजिस्ट्रेट, बांदा/नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय, बांदा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
१०. जिलाधिकारी महोदय, बांदा।
११. आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ।

जिला विकास अधिकारी,
बांदा